

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(7)नविवि / 3 / 2009पार्ट III

जयपुर, दिनांक

9 SEP 2016

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम,
जयपुर।

विषय :- भवन विनियम, 2010 के विनियम 16 के अन्तर्गत "कम्प्लीशन सर्टिफिकेट" की अनिवार्यता में शिथिलता दिये जाने बाबत (15 मीटर से अधिक ऊंचाई/5000 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल के भवनों हेतु)।

सन्दर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 03.10.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 25.08.2014 व आज्ञा क्रमांक 121/2014 में, भवन विनियम, 2010 के विनियम 16 के अन्तर्गत कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता में शिथिलता दिये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 03.10.2013 को स्थगित किये जाने एवं इस पर पूर्ण रूप से नये सिरे से विचार किये जाने का निर्णय किया गया है। उपरोक्त आज्ञा की अनुपालना विभागीय आदेश क्र. प.10(7) नविवि/2009पार्ट-III दिनांक 03.10.2013 को एतद्वारा स्थगित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को उनके द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.11.2012 के क्रम में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/अजमेर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग को निर्देशित किया जाता है कि मधीमण्डल के उपरोक्त निगमोंनुसार आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
6. नगर विकास द्वारा, अलवर/भरतपुर/भिलाई/भीलवाड़ा/बीकानेर/बाड़मेर/जैसलमेर/कोटा/उदयपुर/भ्रमगानगर/जैसलमेर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय निगम, जयपुर को उनके अधीन समस्त स्थानीय निकायों